

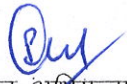
वनभूमि की मांग का औचित्य

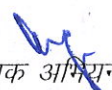
परियोजना का नाम:—

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में बिल्लेख से अम्बेडकर ग्राम गैरा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (वास्त. लम्बाई 2.50 कि.मी.) (1.68 है०)

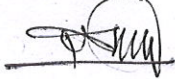
उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति शासनादेश सं. 2615/III(2)/16-03(मु.म.घो.)/2015 दिनांक 13.10.2016 के द्वारा 2.50 किमी. लम्बाई हेतु ₹ 23.03 लाख मात्र के लिए प्राप्त हुई है। मार्ग निर्माण से ग्राम गैरा के ग्रामीणों को यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी। मार्ग निर्माण हेतु स्थल पर सर्वेक्षण कार्य कराया गया है परन्तु इस मार्ग निर्माण हेतु ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है जिसमें मार्ग निर्माण से वन भूमि प्रभावित नहीं होती है। स्थल पर मार्ग निर्माण हेतु ऐसा समरेखण प्रस्तावित किया गया है जिसमें न्यूनतम वन भूमि प्रभावित होती हो।

इस मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखण पर मोटर मार्ग की वास्तविक लम्बाई 2.50 कि.मी. है। प्रस्तावित समरेखण में 1.680 है० आरक्षित वन भूमि, शून्य है० वन पंचायत भूमि तथा शून्य है० सिविल बेनाप सहित कुल 1.68 है० वन भूमि प्रभावित होती है। इस हेतु कुल 1.68 है० वनभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत






वन क्षेत्राधिकारी
रानीखेत रेंज,
अल्मोड़ा वन प्रभाग


उपप्रमुख
रानीखेत


अधिशारी वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा